

अभिलेख उपस्थापित।

गोपाल प्रसाद पिता स्व० श्याम सुन्दर प्रसाद, निवास स्थान कोर्सा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग वर्तमान निवास स्थान 65 मन्दिर पथ भतीया बस्ती कदमा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कोर्सा, थाना नं०-156, खाता संख्या-72, प्लॉट संख्या-760, रकवा-0.04 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-761, रकवा-0.04 एकड़ कुल रकवा 0.08 एकड़ (08 दिसमिल) (आठ दिसमिल) भूमि मंजू देवी पति मोहन रजक, निवास स्थान कृष्णापुरी गली नम्बर-4 मटवारी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22028980 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-706/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3606/रा० दिनांक 29.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 3040 दिनांक 29.12.2022 से जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियान रामटहल दुसाध के नाम से है तथा केवाला आवेदक गोपाल प्रसाद के नाम से है। केवाला अनुसार खरीदगी भूमि 12डी० है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 08डी० भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-44/XII पर आवेदक गोपाल प्रसाद के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदक की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास मौजा-जमशेदपुर भतीया में खाता संख्या-40, प्लॉट संख्या-1309, रकवा-6.6डी० भूमि है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिसूचना क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अ
का
टिप्पण

उप

मेसक.

2

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में गोपाल प्रसाद पिता स्व0 श्याम सुन्दर प्रसाद, निवास स्थान कोरा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग वर्तमान निवास स्थान 65 मन्दिर पथ भतीया बस्ती कदमा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कोरा, थाना नं0-156, खाता संख्या-72, प्लॉट संख्या-760, रकबा-0.04 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-761, रकबा-0.04 एकड़ कुल रकबा 0.08 एकड़ (08 डिसिमिल) (आठ डिसिमिल) भूमि मंजू देवी पति मोहन रजक, निवास स्थान कृष्णापुरी गली नम्बर-4 मटवारी, थाना-सदर, जिला-हजारीबागके साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

16/03/23
अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर सम्महर्ता, हजारीबाग।